भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1641
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों में आत्महत्याएं

†1641. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कारागारों में राज्य-वार कितने कैदी आत्महत्याएं कर चुके हैं/आत्महत्या करने का प्रयास किया है;
(ख) क्या ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में कारागार संबंधी आंकड़े संकलित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2016 तक उपलब्ध हैं। जिन कैदियों ने वर्ष 2014 से 2016 के दौरान कारागार में आत्महत्या कीं, उनका राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ): वर्ष 2014 से 2016 के दौरान कारागारों में आत्महत्या के मामलों में ऐसी प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं होती है। तथापि, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 परिचालित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कारागार कैदियों के स्वास्थ्य, काउंसिलिंग, मानसिक सुधार, मनोचिकित्सा, उनके बोधात्मक व्यवहार आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 'चिकित्सा

अनुलग्नक
दिनांक 02.07.2019 का लो. स. अता. प्र. सं. 1641

देखभाल' और 'कैदियों के कल्याण' पर अध्याय है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने कैदियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य/उनकी जरूरतों की देखभाल करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिनांक 10.10.2017 को निम्नलिखित दिशानिर्देश/दस्तावेज़ भी परिचालित किए हैं:-

i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा तैयार किया गया 'कारागारों में आत्महत्या-प्रिवेंसन स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीकेशन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एंड लीगल प्वाइंट्स ऑफ व्यू' नामक विशेष लेख (मोनोग्राफ)।
ii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को समय-समय पर हिरासतीय मौतों पर दिशानिर्देश।
iii) नेशनल मण्डेला रूल्स- कैदियों के साथ व्यवहार के संबंध में यूनाइटेड नेशन्स स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स।
iv) अंतरराष्ट्रीय रेड क्रास कमेटी द्वारा जारी "हिरासत में हुई मौतों की जांच" पर दिशानिर्देश।

'कारागार' और 'उसमें निरुद्ध व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार राज्य के विषय हैं। कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्यों सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों को कारागारों में अप्राकृतिक मौतों को कम करने और यथासंभव उनमें कमी लाने के लिए सभी प्रयास करने के लिए कहा गया है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 02.07.2019 का लो. स. अता. प्र. सं. 1641

वर्ष 2014-2016 के दौरान कारागारों में कैदियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आत्महत्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	2	6	4
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	1	2	1
4	बिहार	2	1	3
5	छत्तीसगढ़	2	0	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	3	2	3
8	हरियाणा	4	2	9
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	2	0	1
11	झारखंड	2	1	0
12	कर्नाटक	15	9	3
13	केरल	3	0	4
14	मध्य प्रदेश	3	4	4
15	महाराष्ट्र	6	6	7
16	मणिपुर	0	1	1
17	मेघालय	0	1	0
18	मिजोरम	1	0	0
19	नागालैंड	1	0	0
20	ओडिशा	1	2	3
21	पंजाब	10	4	8
22	राजस्थान	6	2	8
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	5	5	9
25	तेलंगाना	0	0	4
26	त्रिपुरा	0	1	0
27	उत्तर प्रदेश	18	9	20
28	उत्तराखंड	0	2	0
29	पश्चिम बंगाल	9	10	6
	कुल (राज्य)	**96**	**70**	**98**
30	अंडमान एवं निकोबार	0	2	1
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0
34	दिल्ली	5	4	3
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	1	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**5**	**7**	**4**
	कुल (अखिल भारत)	**101**	**77**	**102**

स्रोत: भारत में कारागार संबंधी आंकड़े